"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 134] रायपुर, बुधवार, दिनांक 6 अप्रैल 2016— चैत्र 17, शक 1938

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ -10-4/2016/वाक/पांच (20) . — छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 18 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) तथा धारा 62 के खण्ड (घ), (घ-1), (ङ), (च) और (छ) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2002 में निम्नलिखित और संशोधन करती है जो अधिसूचना दिनांक से प्रभावी होगा.

संशोधन

उक्त नियमों में, -

1. नियम 13 में -

शब्द एवं अंक "लायसेंस फीस दिनांक 27 मार्च तक अग्रिम रूप में जमा करेगा" के स्थान पर शब्द एवं अंक "लायसेंस फीस दिनांक 30 मार्च तक अग्रिम रूप में जमा करेगा" प्रतिस्थापित किया जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.